Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **अलवर में आरोपी बसन्त कुमार परसोया हाल तहसीलदार गोविन्दगढ़ जिला अलवर को और उनके लिये रिश्वत लेते उनके दलाल रवि उर्फ रिंकू को 1,50,000/— रूपये के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया।**

जयपुर दिनांक 17 मार्च 2026, मंगलवार। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी चौकी अलवर प्रथम द्वारा आज कार्यवाही करते हुये **बसन्त कुमार परसोया हाल तहसीलदार गोविन्दगढ जिला अलवर** को एवं उनके रिश्वत लेते हुए **दलाल रवि उर्फ रिंकू हाल केयर टेकर गौरव गुलाटी फार्म हाउस ग्राम सिरमौर तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर** प्राईवेट व्यक्ति द्वारा **1,50,000/— रूपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथो गिरफ्तार किया गया।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, के **महानिदेशक पुलिस श्री गोविन्द गुप्ता** ने बताया कि ए.सी.बी. चौकी अलवर को एक शिकायंत इस आशय की मिली कि परिवादी को वसीयत के आधार पर उसकी मौसी (ताईजी) के हिस्से की जमीन को परिवादी के नाम चढवाने के लिये तहसील गोविन्दगढ़ मे कागजात लगाये तो उन्होने उसको पटवारी व ग्राम पंचायत चिडवाई सरपंच को आगे भेज दी थी। पटवारी व सरपंच ग्राम पंचायत चिडवाई ने उक्त वसीयत रजिस्टर्ड नही होने के कारण जमीन बबली के नाम करने का ही इन्द्राज किया। जिस पर परिवादी ने उप खण्ड अधिकारी गोविन्दगढ के न्यायालय में अपील की तो उप खण्ड अधिकारी नें परिवादी के हक में हिस्सा चढ़ाने का आदेश 3.12.2025 को तहसीलदार गोविन्दगढ के नाम से आदेश जारी किया। उक्त आदेश की कम में परिवादी द्वारा तहसीलदार गोविन्दगढ को पुनः अपनी जमीन के कागजात पेश किये तो उन्होने फाईल को अपने पास रखने और उस पर सुनवाई शुरू कर दी। उक्त भूमि को परिवादी के हक में हिस्सा चढ़ाने के लिये दलाल रवि उर्फ रिंकु के मार्फत 50,00,00/— लाख रूपये की रिश्वत की मांगकर परेशान किया जा रहा है। दौराने सत्यापन दिनांक 13.03.2026 को आरोपी तहसीलदार आरोपी दलाल रवि उर्फ रिंकू के कहने पर गौरव गुलाटी के ग्राम सिरमौर स्थित फार्म हाउस पर पहुंचकर परिवादी से बातचीत कर 3,50,000/— रूपये की मांग करना पाया गया।

जिस पर एसीबी के उप **महानिरीक्षक पुलिस—चतुर्थ श्री अनिल कयाल** के सुपरवीजन में ए.सी.बी.चौकी अलवर—प्रथम के प्रभारी **उप अधीक्षक पुलिस श्री शब्बीर खान** द्वारा आज ट्रेप कार्यवाही करते हुए बसन्त परसोया हाल तहसीलदार गोविन्दगढ जिला अलवर के लिये उसके दलाल रवि उर्फ रिंकू हाल प्राईवेट व्यक्ति के मार्फत परिवादी से पहली किस्त के रूप में 1,50,000/— रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया तथा बंसत परसोया तहसीलदार को तहसील कार्यालय गोविन्दगढ़ को भी गिरफ्तार किया गया ।

एसीबी की **अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव** के सुपरवीजन में आरोपी से पुछताछ एवं कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्जकर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।